# समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 02 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये ( चार पेज )


"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
( 27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से )

# अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों से सवाल- डेटा का क्या हुआ?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी राज्यों को यह बताने का निर्देश दिया कि इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं। एससी ने इस संबंध में कैडर-वार डेटा प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'जरनैल सिंह-द्वितीय मामले (28 जनवरी, 2022) में हमारे फैसले के संदर्भ में अभ्यास करने और अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकारियों की खातिर यह खुला रहेगा।'

सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें आरक्षण को लेकर रखी गई शर्तों और उनके पालन में देरी को चुनौती दी गई है। इस पीठ में जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। बेंच ने 17 जुलाई से डे.टू.डे बेसिस पर याचिकाओं के बैच को लेने पर सहमति जताई। हालांकि, कोर्ट ने तब तक सभी संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट-पद विशेष के लिए होगा। पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के नियम जो एम. नगराज फैसले में तय किए थे उनमें कोई ढिलाई नहीं होगी।

**अनुसूचित जाति-जनजाति को प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण लेकिन**

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि सरकारी नौकरियों में एससीए एसटी वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन ये आरक्षण सेवा में पोस्ट-पद विशेष के लिए होगा। पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह कि प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के नियम जो एम. नगराज फैसले में तय किए थे उनमें कोई ढिलाई नहीं होगी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि सरकार को आरक्षित वर्ग विशेष के पिछड़ेपन के मात्रात्मक आंकड़े जुटाने ही होंगे और इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकेगा। आरक्षित वर्ग का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व कितना है और कितना नहीं यह पोस्ट-पदों के हिसाब से तय होगा। यह नहीं कि पूरी सेवा/वर्ग/समूह में उसका प्रतिनिधित्व देखा जाए।

## राजस्थान पुलिस विभाग में हड़कम्प

# कोटे से अधिक सामान्य पदों पर अजा-अजजा निरीक्षकों की पदोन्नति पर रोक

**पुलिस विभाग के आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2022 एवं चयन सूची दिनांक 11.01.2023 पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की रोक**

**इस प्रकरण में समता आन्दोलन ने दिया था पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) को विस्तृत ज्ञापन**

**दौसा और बारां जिले के पुलिस कार्मिक ले चुके है स्थगन। अन्य जिलों के पुलिस कार्मिक भी इस अन्यायपूर्ण आदेश के खिलाफ हो रहे है लामबंद**

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने अर्जुन सिंह बनाम राज्य सरकार प्रकरण में दिनांक 07 फरवरी 2023 को आदेश जारी कर पुलिस विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 12.12.2023 एवं चयन सूची दिनांक 11.01.2023 पर स्थगन आदेश जारी किया है।

अधिकरण के सदस्य शुचि शर्मा एवं लेखराज तोसावड़ा ने मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा -4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

**स्थगन आदेश में लिखा गया है कि-**

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना, देई, जिला बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयन सूची दिनांक 11.01.2023 जारी की गई, जिसमें तीन अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनको आरक्षित कोटे से अधिक अनारक्षित (सामान्य) वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया। जबकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति अनुसूचित जाति वर्ग से थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.12.2022 अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के विपरीत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध दिये जाने की अनुमति दी गई है, जबकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में वर्गवार आरक्षित कोटावार नियमानुसार पदोन्नति का उल्लेख किया गया है, जबकि आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा आरक्षित कोटा से अधिक अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति देना नियम विरूद्ध है।

अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 एवं चयन सूची दिनांक 11.01.2023 को अपीलार्थी को सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज जारी किए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रश्न विचारणीय है। अत: अपील ग्राहय की जाती है। स्थगन प्रार्थनापत्र पर अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 एवं चयन सूची दिनांक 11.01.2023 का क्रियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 19.04.2023 के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थनापत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान अभिभाषक के द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस एवं अपील, मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावें। नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वत: ही प्रभावहीन हो जावेगा। पत्रावली जवाब एवं तामील हेतु दिनांक 19.04.2023 को समक्ष रजिस्ट्रार प्रस्तुत हो।

अध्यक्ष की कलम से

## ''जातीय सहिष्णुता''

साथियों,

देश-धर्म संयुक्त तो नहीं लेकिन संयोजित अवश्य है। इसीलिए अन्योन्यक्षित भी है। आज से नहीं बल्कि सदियों से। लेकिन इन दिनों लगने लगा है कि जातिवाद इन दोनों पवित्र शब्दों को लील जाना चाहता है। शायद इसका कारण ये है कि देश में जातीय आरक्षण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले ई डब्ल्यू एस को आरक्षण का लाभ और पिफर यूपी की पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने की संभावना!! और तीसरी बात ये कि प्रखर जातिवादी नेताओं की परंपरा को छुटभैये नेताओं द्वारा आगे बढाने में असमर्थ दिखाई देना।

भले ही जातिवाद अब भारत देश का नासूर बन चुका है लेकिन जातियाँ यहाँ की सामाजिकता का सौंदर्य रही है। इस सौंदर्य के भ्रष्ट स्वरूप को हथियार बनाकर निकले लोगों का कालखण्ड समापन की तरफ अग्रसर दीखता है। हालांकि सच ये भी है कि जातिवाद का विरोध करने वाले नेता भी कुल मिलाकर जातिवाद का समर्थन ही करते हैं। क्योंकि वे विरोध के नाम पर कतिपय जातियों को अकारण अपराधी मानकर उनके साथ 75 सालों से ज्यादती करते आ रहे है।

जाति आरक्षण समर्थक और विरोधी कभी साथ बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पायेंगे कि यह प्रयोग अपनी सम्पूर्णता में फेल हुआ है। यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि भारत भूमि जीव मात्र के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने के कारण जातियों की परस्पर समन्वय और सौहार्द स्थापना का हेतु रही है। अन्यथा विगत पिचहत्तर सालों में देश को न जाने क्या-क्या देखना पड़ता!! अब समय है कि अगले 25 साल तक नयी परिस्थितियों के स्थाईत्व लेने दे। ताकि हम सच में कह सकें- सारे जहाँ से अच्छा भारत देश हमारा।

जय समता

## सम्पादकीय

# ''गलत है स्वार्थ का सिद्धान्त''

संयोग वश राजीव दीक्षित का एक वीडियो सामने आ गया। इसमें वे उदाहरण देकर बताते है कि कोई दो सौ साल पहले 'नाई' समाज के लोग बहुत सही और सटीक सर्जन हुआ करते थे। और आज उन्हें पिछड़ों में शामिल कर दिया गया है। बेशक संविधान समता और समानता की पैरवी करता है और घोषण भी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये समता और समानता कर्म के आधार पर है या जात के आधार पर ?

तथ्य है कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर मानव सभ्यता को ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के चार वर्णों में विभाजित करने की तत्कालीन राजशाही की एक व्यवस्था थी जो अद्भुत रूप से इन्सानों को गुणधर्म के आधार पर चार वर्णों में बांटकर चलती थी। लेकिन कब, कहॉ, किसने जात और जातीय समूहों का निर्माण किया इसका कोई तथ्य किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके आज जातिवाद भारत की बड़ी समस्या है।

जाति का कोई वाद होना संभव नहीं है। क्योंकि जात न तो विचार होती है और न ही समेकित समूह। अंग्रेजों के समय तक जातियॉ तो थी लेकिन जातिवाद नहीं था। फिर अंग्रेजों ने ही 1856 के आस-पास लगभग तीन सौ जातियों को जरायमपेशा (आपराधिक) घोषित करते हुये उनका समूह बनाकर तरह-तरह की पाबंदियॉ लगा दीं। ये पाबंदिया इतनी सख्त थी कि समूह की जात के लोगों को एक गॉव से दूसरे गांव जाने से पहले थाने में अपना नाम व जाने का उद्देश्य दर्ज करना पड़ता था। सरसरीतौर पर भारत में यही ''जातिवाद'' की शुरूआत है। अंग्रेजों के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान ने भी बहुत ही स्पष्ट और आधिकारिक रूप से जातिवाद को स्थापित करने के लिए एससी-एसटी समूहों की रचना की जिसमें मण्डल की अभिशंसा के आधार पर ओबीसी समूह शामिल हो गया। तो प्रश्न ये आता है कि जो संविधान स्वयं जातिवाद का निर्माता और पोषक है उससे जातिवाद को समाप्त करने की आशा रखना चील के घोंसले में मांस ढूंढने जैसा है।

हालांकि संविधान ने एससी व एसटी समूहों के लिए कोई स्थाई मानदण्ड नहीं बनाए थे। लेकिन बाद में इनकी जो परिभाषाएँ निर्धारित की गई वे तो अब बिल्कुल बदल चुकी है। उदाहरण के तौर पर जनजातीय शब्द से पहले गिरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज गिरि(पर्वतों) पर निवास करने वालों का रहन सहन, प्रभाव, स्वभाव बदल चुके है। आजादी के समय देश के 23 प्रतिशत भू भाग वनाच्छाति थे जो आज मात्र 9 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफशुरू की 33 करोड़ आबादी आज 140 करोड हो चुकी है। कुछ ऐसे ही तथ्य एससी जमात के लिए भी है।

विचारों से विद्वानों को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन स्वार्थ के सिद्धान्त मानने वालों को समझाने का कोई तरीका किसी के भी पास होगा यह स्वीकारना कठिन है। जातिवाद का मिटाना उचित है लेकिन किसी एक को समाप्त करके दूसरे को जीवित रखने का आदर्श उचित नहीं है। भारत जातिवाद के उबाल पर है। लेकिन इस उबाल को कैसे रोका जा सकता है इस पर शोध होना बहुत ही आवश्यक है।

जय समता।

**- योगेश्वर झाड़सरिया**

# प्राचीनता का सौंदर्य आधुनिक अभिशाप

अनुमान तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ठोस तथ्य किसी के पास नहीं है कि भारत भूमि पर जातियॉ और उपजातियॉ कब से शुरू हुई। सनातन धर्म मूलत: चार आश्रम और चार वर्गों के आधार पर अरण्य में पल्लवित और पोषित हुआ है। लेकिन जाति की बात करे तो आधुनिक इतिहास अंग्रेजों का आभारी है। उन्होंने ही सबसे पहले देश में जातियों-उपजातियों को प्रामाणिक बनाने का ठोस प्रयास किया। तब ये भी पता लगा कि न केवल उगा और निम्न जातियों में परस्पर भेद और अलगाव है अपितु खुद उगा जातियों में भयंकर विभेद है। इसी तरह निम्न जातियों में भी परस्पर गंभीर ऊँच-नीच का भाव है। इस सारी परिस्थिति पर यदि समेकित और निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाये तो भारत में जातीय व्यवस्था में विकार कब से आया यह एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि अनेकता को ऐकता के सूत्र में बांधने वाली हमारी संस्कृति के अंक में जातियॉ- उपजातियॉ भी एक सौंदर्य रहा है।

देश में जातीयता असंदिग्ध रूप से मानवता के खिलाफ एक अपराध के रूप में धीरे-धीरे बढ रहा है। जैसे-जैसे भारतीय आत्मा गांव से छिटकने लगी तो जो अदृश्य द्वन्द्व हुआ उसने विभेद को बढाया। यूं हमारी संस्कृति में भगवान राम के काल में सबरी, निषाद, केवट, वानर आदि-आदि से लेकर आठवीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य द्वारा एक चाण्डाल की गुरू के रूप में प्रतिष्ठा जैसे अनगिनत उदाहरण बताते है कि भारत भू पर जात-धर्म से ऊपर ज्ञान की प्रतिष्ठा रही है जो मध्यकालीन इतिहास में भक्ति के रूप में अपना स्थान बनाता है। ये सब बातें शोध और मन को सांत्वना देने के लिए प्रयुक्त हो रही है।

प्राचीन काल, मध्यकाल आधुनिक इतिहास के बाद साम्प्रत भारत की चर्चा करे तो जिस कथित जातिवाद को नष्ट करने के लिए संविधान सभा में प्राय: 300 सदस्यों ने विचार समर्थन के बाद जो संविधान आत्मार्पित और अंगिकार किया वहीं संविधान देश में जातिवाद के विष को फैलाने का काम कर रहा है। अब न विधानसभाएँ, न संसद और न ही न्याय व्यवस्थाएँ तय कर पा रही है कि जब संविधान के आर्टिकल 32 में जातिगत आरक्षण को मात्र 10 सालों अर्थात 1960 तक के लिए स्वीकृति दी गई थी वह 70 सालों तक कैसे न केवल चलता रहा है बल्कि देश में हिंसा और खून-खराबे का प्रयाय तो बना ही है। बल्कि, इससे आगे भारत की निर्दोष युवा प्रतिभाओं का गला घोंटने वाला भी सिद्ध हुआ है।

आज हालात ये है कि एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट यदि बाल भर भी न्याय संगत परिवर्तन करता है तो देश में आग लग जाती है। सरकारें दुबक जाती है। संसद जैसे किसी आंतकि हमले से भयभीत होकर सही गलत का भेद ही भूल जाती है। यह कितना विचित्र और भयावह है कि देश जातिवादी को भूलकर आगे बढना भी चाहता है तो संविधान द्वारा स्वीकृत जातियों की अनुसूची उन्हें पुनर्मूषकोभव की स्थिति में ला पटकती है। इतने विशाल और 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कहीं कोई कानूनी पचड़ा पैदा भी होता है तो उसे जातिवाद से जोड़ कर संविधान की खामियॉ दुरस्त करने के बजाय एक और खामी का संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया जाता है।

संवैधानिक शील्ड में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में वहीं हुआ जो सैंकड़ों साल पहले हुआ करता था। निम्न जातियों के भीतर जो समर्थ जातियॉ थी उन्होंने संविधान की व्यवस्था का ऐसा चालाकीभरा दोहन किया कि जातिवाद खत्म होने के बजाय और गहरा होता चला गया। यहॉ तक कि पूरा देश जातिवाद की जकड़न में कसमसा तो रहा है लकिन उससे बाहर आने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। जिस न्यायपालिका से आशा की जाती है वो इतने निर्णय दे चुकी है कि उसमें से किस निर्णय को सही माना जाये उसके लिए फिर-फिर याचिकाएँ लग रही है।

कथित राजनैतिक दलों में अब सत्ता से जनसेवा का भाव तिरोहित हो चुका है क्योंकि जातिवादी घौंसपट्टी उन्हें चैन से देशहित के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं देती। न कोई परिभाषा है न कोई मानदण्ड फिर भी जातियॉ अनुसूचियॉ दिनो-दिन अपनी सेहत बनाती जा रही है। दुनिया के दो सौ देशों में भारत अपने जातीय अभिशाप के कारण खड़ा तो दिखाई देता हैं परंतु कब थककर बैठ जायेगा या गिर पड़ेगा उसे कोई भी जानने और मानने को तैयार नहीं है।

सब जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों में अधिकांश जाति आधारित हैं। लेकिन वे राष्ट्रीय दलों को तिगनी का नारच नचाते हैं। लोकतंत्र हर पॉच साल में चुनाव के माध्यम से अपनी अपनी परीक्षा लेता आ रहा है। फिर भी जातिवाद उसे 33 प्रतिशत से अधिक अंक लेने ही नहीं देता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जातिवादी बेड़ियों से जकड़ा भारत कुछ कदम तो चल सकता है लेकिन चाहकर भी दौड़ नहीं सकता। प्राचीनता का सौंदर्य आधुनिक अभिशाप बन गया है।

# दलितों को इस्लाम व ईसाई धर्म अपनाने पर एससी का दर्जा नहीं

धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के नोट का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक ईसाई और मुस्लिम के मूलत: विदेशी धर्म होने के चलते उनमें जाति व्यवस्था इतनी हावी नहीं है ऐसे में तब्दील हुए दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना वहां जाति व्यवस्था को जन्म देगा।

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामें में यह कहा है कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय में जातीय आधार पर छुआछूत नहीं है। रंगनाथ कमीशन ने बिना जमीनी हकीकत का अध्ययन किये हुए ही धर्मान्तरण करने वाले सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थीण् इसलिए सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया थाण

**पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता में आयोग का गठन**

सरकार का कहना है कि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया है जो धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति के दर्जे पर विचार करेगाण सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं

अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलता है तो इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ये दर्जा हासिल नहीं है। ये आरक्षण संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के तहत प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है।

**पौराणिक कथन : 'देवी भागवत'**

तांत्रिक भावों की प्रधानता वाला ग्रंथ जिसमें श्री मद्भागवत के समान ही, सकंध और 18000 श्लोक हैं। इसकी रचना नवीं शताब्दी में हुई।

आसमान में उड़ने वाले,
मोल धरा का भूल न जाना।
भूख-प्यास और छांव की खातिर-
ऊपर नहीं है ठौर ठिकाना।।

## कविता

### 'जिनको हमने चुन कर भेजा'

जीवन के सब उजियारों पर
अंधियारों के पहरे है।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।
घर-घर में जाकर के देखो
बदहाली के गीत बज रहे।
राजमार्ग पर जगह-जगह,
स्वारथ के गढ्ढे गहरे है।।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।
अरमानों के पंख कट गये
आसमान खाली-खाली है,
गंदे नाले उफन रहे
नदियों में सूनी लहरे है।।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।
ऊंचे-ऊंचे सब भवनों में
बौनों की भरमार है
मानवता की इस धरती पर-
जातिवाद के सहरे है।।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।
सूरज को ढक कर रखने की
चाल कोई इक गहरी है,
तेजस के सारे आसन पर
बुझे-बुझे से चेहरे है।।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।
सभी नियम बैसाखी पर और
नैतिकता चाण्डाल चौकड़ी,
देवालय की हर चौखट पर
गुण्डे मवाली ठहरे है।
जीवन के सब उजियारों पर
अंधियारों के पहरे है।
जिनको हमने चुन कर भेजा
वे सब कानों से बहरे है।।

– राज राजेश्वरी

# अटल और अनम्य

**गतांग से आगे:**

इस प्रकार हम लगातार निम्न से निम्नतर स्तर पर उतरते जा रहे हैं; सरकारी कार्य-प्रणाली का कुशलता स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसका अन्य वर्ग के लोगों के साथ-साथ इन पिछडे एवं वंचित वर्ग के लोगों पर भी पड रहा है, सार्वजनिक बहस का स्तर और पैमाना भी गिरता चला जा रहा है और ये स्थितियाँ जिस प्रकार अपरिहार्य बन गई हैं उसी प्रकार इनका परिणाम भी परिहार्य है, जो निम्नलिखित रूपों में हमारे सामने है -

* विधायिकाओं को सुविधा और आवश्यकता के अनुसार संचालित करनेवाले व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृति के रूप में ।
* शिक्षण संस्थानों और सिविल सेवाओं में गिरते कुशलता- गुणवत्ता स्तर के रूप में ।
* मतदान प्रणाली और विधायिकाओं के साथ-साथ सेवाओं का भी जाति के आधार पर विभाजन के रूप में ।
* कुशलता-उत्कृष्टता पर एक संगठित हमले के रूप में ।

ऑर्टेगा गैसेट की बात सच साबित होती है; पैमाने हटा दिए गए हैं; औसत दर्जा ही मानक पैमाना बन गया है; अभद्रता ही प्रामाणिकता बन गई है; अभित्रास ही दलील बन गई है; हमला प्रमाण । इस रास्ते में- जैसा पं. नेहरू ने दशकों पहले ही कह दिया था - बेवकूफी ही नहीं, आपदा भी है ।

**वास्तव में क्या होना चाहिए**

इस खाई से बाहर निकलने का रास्ता बिलकुल स्पष्ट है । जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी को कोई नौकर, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार या छूट नहीं दिए जाने चाहिए।

इन पर किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को किसी तरह का अतिरिक्त हक नहीं दिया जाना चाहिए । सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करके पद या सीट प्राप्त करें ।

यही बात सभी सरकारी पदों के संदर्भ में लागू होनी चाहिए । यह सच है कि आज हमारे जीवन में सरकार की भूमिका को कम करते रहना ही सर्वोत्तम उपाय हो गया है ।वर्ष 1991 से सुधारों का यही मूल अर्थ रहा है और इसके प्रभाव की झलक हमें पिछले पंद्रह वर्षों में हुए आर्थिक विकास की तीव्र गति से मिल सकती है; लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें केवल सरकार ही संपन्न कर सकती है । इनमें कुशलता व योग्यता की आवश्यकता है और इन कार्यों को तत्काल प्रभाव से संपन्न करना होता है । ऐसे कार्य इस विश्वास के साथ किसी को नहीं सौंपे जाने चाहिए कि अंतत: वह कार्य के लिए आवश्यक अर्हता और कुशलता हासिल कर लेगा; क्योंकि अयोग्य अथवा कम योग्य होने की स्थिति में उपर्युक्त विश्वास के साथ उसे कार्य सौंपा जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि जब तक वह व्यक्ति कार्य से संबंधित आवश्यक कुशलता हासिल नहीं कर पाएगा तब तक वह कार्य अपूर्ण ही बना रहेगा, जिससे पूरे देश को नुकसान पहुँचेगा । चूँकि इस कार्य का संबंध पूरे सरकारी ढाँचे से होगा, अत: पूरे सरकारी ढाँचे पर इसका कुप्रभाव पडेगा ।

कुछ भी हो, यदि किसी भी धर्मग्रंथ का कोई भी अंश प्रतिष्ठा या पेशे को जाति से जोडने की बात करता हो तो उसे त्याग देना चाहिए । यदि जाति, जन्म, रंग के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद करने की बात की जाती है तो हमारे धर्म के मौलिक सिद्धांत पर प्रहार होगा, जिसके अनुसार सभी जीवों में एक आत्मा होती है और वह सभी में एक जैसी होती है ।

अत: जाति-जन्म के आधार पर किसी को कोई नौकरी, पद, सीट, नहीं दी जानी चाहिए । हमारे धर्मग्रंथ भी तो यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जन्म या जाति से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाता है ।अरविंद शर्मा ने अपनी कृतियों में संकेत किया है कि प्राचीन काल में भी जाति-व्यवस्था में बडी गतिशीलता और लोचशीलता थी । सभी जातियों में शासक या राजा हुए; सभी जातियों में विद्वान् और अध्यापक हुए; ब्राह्मणों,

क्षत्रियों और शूद्रों की सेनाएँ थीं; चाणक्य शूद्र सेनाओं को सबसे ज्यादा महत्व देते थे । उनका मानना था कि ब्राह्मणों को आसानी से फुसलाया जा सकता है ।

कुछ भी हो, यदि किसी भी धर्मग्रंथ का कोई भी अंश प्रतिष्ठा या पेशे को जाति से जोडने की बात करता हो तो उसे त्याग देना चाहिए । यदि जाति, जन्म, रंग के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद करने की बात की जाती है तो हमारे धर्म के मौलिक सिद्धांत पर प्रहार होगा, जिसके अनुसार सभी जीवों में एक आत्मा होती है और वह सभी में एक जैसी होती है ।

जाति-व्यवस्था को इस संदर्भ में भी स्पष्ट किया जा सकता है- जाति से संबंधित गांधीजी के लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसा करना जाति को पुन:परिभाषित करना नहीं है; ऐसा करना जाति-व्यवस्था को उसके मूल अर्थ में बनाए रखना होगा; एक ऐसी व्यवस्था को बनाए रखना , जो अवरता और प्रवरता की धारणा पर तैयार की गई है, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य-भावना भरती है, न कि पाबंदियों और अंधविश्वास ।

मार्क टुली ने 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया' में लिखा है कि जाति व्यवस्था आज भी लाखों लोगों में पहचान और सुरक्षा की भावना भरती है । यह सच है कि कई जातियों की अपनी जाति के सदस्यों की सहायता करने की परंपरा है और यह परंपरा ही विभिन्न जातियों की प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है । भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन आपसी सहयोग की इस परंपरा को गौंडरों की तिरूपुर में कपडा उद्योग में सफलता, नादरों की विरूधनगर क्षेत्र में दियासलाई निर्माण एवं छपाई उद्योग में सफलता का रहस्य बताया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि किस प्रकार इस समुदायों के लोग तथा मारवाडी, सिंधी, कुची, पटेल आदि एक-दूसरे की सहायता करते हैं- किस प्रकार एक दूसरे से अपना लेन-देन करते हैं, मजबूत सामुदायिक नेटवर्क तैयार करते हैं, उद्यम के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, उसका सहयोग करते हैं तथा असफलता के समय किस प्रकार एक-दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं । इस प्रकार वैद्यनाथन ने अंत में लिखा है कि ''भारत में जाति ही सामाजिक राजधानी है ।'' और समस्या से निपटने का मुख्य उपाय अनुसूचित जातियों /जनजातियों /अन्य पिछडे वर्गों की मदद करना है - यानि उन्हें व्यवसाय में जमाने के लिए या उद्यम शुरू करने के लिए बैंक साख एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर ।

इस प्रकार इस व्यवस्था से लाभ हैं । अत: इसे आधुनिक संदर्भ में पुन: परिभाषित करना संभव है; लेकिन इसके नाम पर इतनी बुराईयाँ चल पडी हैं कि इसे त्याग देना ही बेहतर है ।

सच्चाई यह है कि इसे आधुनिकीकरण द्वारा मिटाया जा रहा था /है । अभी बीस-तीस वर्ष पहले टिप्पणीकार उन व्यापक नियमों के बारे में लिख रहे थे, जिनके अंतर्गत उच्च जाति का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के हाथ का भोजन या पानी स्वीकार कर सकता है; क्या कभी कोई जानने की कोशिश करता है कि नगर निगम के जल विभाग का कार्य कौन कर रहा है ? या जिस होटल व रेस्त्रॉं में वह खाना खा रहा है, उसमें खाना बनानेवाला किस जाति का है ? तीस-चालीस वर्ष पूर्व, जैसा टिप्पणीकारों ने लिखा है, दक्षिण भारत में यदि किसी ब्राह्मण पर किसी हरिजन की परछाईं भी पड जाती थी तो वह तुरंत घर जाकर नहाता था । क्या खचाखच भरी बसों या रेलगाडियों में कोई- चाहे वह ब्राह्मण हो या कोई और -यह देखता है कि धक्का-मुक्की में उसका शरीर किस जाति के व्यक्ति से टकरा रहा है ? आधुनिक पेशे- पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सुरक्षा, चिकित्सा आदि चार वर्णों में विभाजित जाति-व्यवस्था के किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? अत: जाति व्यवस्था को सचमुच आधुनिकीकरण द्वारा मिटाया जा रहा है/ था। इसे दो आम कारकों ने एक नए स्वरूप में लाकर खडा कर दिया है - चुनावी राजनीति और सरकारी नीतियाँ ।

....शेष अगले अंक मे

**अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार**

# छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर रण !

## हाई कोर्ट का फैसला, राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगी रोक

### आरक्षण संशोधन अधिनियम पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से मची है घमासान

आरक्षण विधेयक को लेकर गर्म है छत्तीसगढ़ की सियासत। राज्यपाल व सरकार आमने-सामने

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। मामले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्यपाल सचिवालय को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने के संबंध नोटिस जारी किया था।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल सचिवालय ने उच्च न्यायालय में इस नोटिस को वापस लेने के लिए आवेदन दिया था। राज्यपाल सचिवालय के आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 200 के अनुरूप विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। उनके अनुसार यह भी दलील दी गयी कि राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में सचिव को भी इस संबंध में नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार और एक अधिवक्ता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी की थी जिसे राज्यपाल सचिवालय ने गुरुवार को आवेदन देकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। उनके अनुसार सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। पूर्व सहायक सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता बी गोपा कुमार ने बताया कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर निर्णय लेने में कथित देरी पर राज्य शासन और एक अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने छह फरवरी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

उनके अनुसार राज्यपाल के सचिवालय की ओर से उन्होंने एक रिकॉल आवेदन प्रस्तुत कर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। कुमार ने बताया कि आवेदन में यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यालयों की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि आवेदन में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को किसी मामले में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

#### नोटिस वापस लेने के लिए दिया गया था आवेदन

पूर्व सहायक सॉलीसीटर जनरल के अनुसार प्रस्तुत आवेदन में इस आधार पर जारी की गई नोटिस को वापस लेने की मांग की गई थी और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक मामले में राज्यपाल सचिवालय को पूर्व में जारी नोटिस पर स्थगन लगा दिया है।

### 2 दिसंबर को पास हुआ था विधेयक

छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। विधेयकों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशतए अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशतए अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में राज्य में आरक्षण का कुल कोटा 76 फीसदी रखा गया है।

## भूपेश सरकार ने दिए राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब

छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधयकों पर सियासत जारी है। राजयपाल द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण अब लड़ाई राजभवन बनाम सरकार होती नजर आ रही है। विधेयकों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सरकार के पास सवालों की सूची भेजी थी। इस पर अब सरकार ने अपना जवाब दिया है। राजभव को भेजे गए पत्र में भूपेश सरकार ने सभी सवालों का जवाब कारण स्पष्ट करते हुए दिया है।

#### राजभवन से आरक्षण विधेयक पर किये गये 10 सवाल और सरकार की ओर से दिए गए उनके जवाब

**सवाल.1. क्या संशोधन विधेयक पारित करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मात्रात्मक डाटा कलेक्ट किया गया था ?**

उत्तर. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीधी भर्ती के पदों के लिये मात्रात्मक डाटा दिये जाने की बाध्यता नहीं है और ना ही कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है। अन्य पिछड़े वर्ग और ईडब्लूएस के लिये क्रांटिफायबल डाटा आयोग के आंकड़े और रिपोर्ट को आधार बनाया गया है।

**सवाल.2. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों में ही हो सकता है, इसलिये उक्त विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को उपलब्ध करायें।**

उत्तर. उक्त विधेयक में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण इसलिये किया गया है क्योंकि राज्य में इन जातियों की स्थिति शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर बहुत कमजोर है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। क्रांटिफायबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अंत्योदय राशन कार्डों की संख्या 14 लाख से अधिक है जिसमें 5 लाख 88 हजार से अधिक सिर्फ ओबीसी वर्ग के अंत्योदय कार्ड है। इससे पता चलता है कि राज्य में ओबीसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।

**सवाल.3. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो गया, क्या इन विशेष परिस्थितियों के संबंध में कोई डाटा कलेक्ट किया है ?**

उत्तर. शासन ने सितंबर 2019 में क्रांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया था उसी की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी और ईडब्लूएस के डाटा को आधार बनाया गया है।

**सवाल.4. राज्य के एससी, एसटी वर्ग के लोग किस प्रकार से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये हैं, डाटा प्रस्तुत करें।**

उत्तर. आरक्षण देने हेतु एससी, एसटी वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के डाटा की कोई जरूरत नहीं है। जबकि ओबीसी और ईडब्लूएस के लिये क्रांटिफायबल डाटा आयोग कि रिपोर्ट को आधार बनाया गया है।

**सवाल.5. क्या सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को जानने के लिये किसी कमेटी का गठन किया गया था ?**

उत्तर. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया गया है, उक्त रिपोर्ट 21 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की गयी है।

**सवाल.6. क्रांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल के सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत करें।**

उत्तर- क्रांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट शासन को 21 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

**प्रश्न-7. प्रस्तावित संशोधित अधिनियम में विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है।**

उत्तर. शासन ने विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मूल विधेयक में परिमार्जन कराकर सभी नियमों का पालन करते हुये विधानसभा सचिवालय को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा

**प्रश्न.8. संशोधित विधेयक के शीर्षक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई उल्लेख नहीं है। क्या शासन को इस वर्ग के लिये अलग से अधिनियम लाना था ?**

उत्तर. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम,1994 कहलायेगा। अलग से संशोधन विधेयक लाना कानूनी रूप से ठीक नहीं है

**प्रश्न .9. शासन ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत सारणी में कहा था कि सेवाओं में एससीए एसटी वर्ग के लोग कम चयनित हो रहे हैं। उनके पद रिक्त रह जाते हैं। यह सूचित करें कि इस वर्ग के लोग राज्य में क्यों चयनित नहीं हो रहे ?**

उत्तर. उक्त सारणी में दिये गये आंकड़े 2012 के पहले के हैं। वर्तमान में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर एससीए एसटी वर्ग के लोगों का शासकीय सेवा में चयन किया जा रहा था। आरक्षण न होने से इन वर्गों के चयन में कमी आयेगी।

**प्रश्न. 10. क्या उक्त संशोधन विधेयक में प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?**

उत्तर. शासकीय सेवकों की सालाना गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर उनकी दक्षता का आंकलन किया जाता हैण् राज्य की सेवाओं में एसटीए एससी वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और राज्य में पूर्व से संचालित आरक्षण नीति से किसी भी तरह की प्रशासनिक दक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

#### नगेन्द्र शेखावत कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त

शिक्षाविद नगेन्द्र शेखावत सर्व सम्मति से समता आन्दोलन समिति के राजस्थान प्रदेश के लिए कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनाए गये है। संस्था से जुड़े सभी बंधुओं ने शेखावत को बधाई और शुभकामनाएं दी।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in